राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/
e-mail: jdpi.cce@gmail.com Ph.: 0141-2706736 (O);

अन्तिम अवसर

क्रमांकः एफ4 ( )आकाशि/नि.सं./2019/396 दिनांक 30.12.2021

सचिव,
प्रबंध समिति,
निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषयः—सत्र 2017—18 से सत्र 2021—22 तक के पूर्व संचालित विषय/संकाय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की **अन्तिम तिथि 12.01.2022** किये जाने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सत्र 2017—18 से सत्र 2021—22 तक के पूर्व संचालित विषय/संकाय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत लम्बित प्रकरणों के लिए जिन निजी महाविद्यालयों को कमीपूर्ति नही करने के कारण अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नही किया गया, उन्हे संबंधित सत्रों के टीएनओसी अंभिवृद्धि/ पीएनओसी हेतु लंबित प्रकरणों में छात्र हित के मध्येनजर कमीपूर्ति करने अथवा संबंधित सत्र की नीति नियमानुसार निर्धारित शास्ति/दण्डात्मक प्रावधान अनुरूप कार्यवाही करने का अन्तिम अवसर दिनांक **12.01.2022** तक प्रदान किया जाता है।

उक्त महाविद्यालय कमीपूर्ति के समस्त दस्तावेज आवश्यक रूप से नोडल अधिकारी से प्रमाणित करवाकर ही आयुक्तालय को व्यक्तिशः प्रस्तुत करें। उक्त अवसर का उपभोग निर्धारित तिथि तक नही करने पर होने वाली समस्त वैधानिक बाधाओं के लिए संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा राजस्थान
जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्राचार्य नोडल राजकीय महाविद्यालय को भेज कर लेख हैं कि आपकी तहसील में अवस्थित निजी महाविद्यालयो द्वारा, सत्र 2017—18, से 2021—22 तक के पूर्व संचालित विषय/संकाय हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित दस्तावेजों को प्राथमिकता से प्रमाणित कर आवरण पत्र सहित संस्था के माध्यम से अन्तिम तिथि से पूर्व प्रेषित करवाना सुनिश्चित करावें।
2. वेबसाइट प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (नि. सं.)